


(2)



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 2018 निगरानी - 6065/2018/छतरपुर/शू.सं

श्री. प्रजेन्द्र सिंह व्यास  
दिनांक 8/10/18  
प्रस्तुत! प्रारम्भिक तर्क हेतु  
दिनांक 17-10-18  
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

- 1 रामेश्वर पुत्र हल्काई ब्रा.
- 2.. बहादुर सिंह पुत्र श्री हल्काई  
समस्त निवासीगण-ग्राम नैगुवा तहसील  
जिला छतरपुर म.प्र. ....आवेदकगण  
बनाम  
मातादीन पुत्र हल्काई ब्रा  
समस्त निवासीगण-ग्राम नैगुवा तहसील जिला  
छतरपुर म.प्र. ....अनावेदक

श्री. प्रजेन्द्र सिंह व्यास  
Brahm  
08/10/18

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959  
विरुद्ध आदेश दिनांक 08.08.2018 पारित द्वारा न्यायालय अपर  
आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 452 अ/6 वर्ष  
2014-15 से असंतुष्ट होकर ।

माननीय न्यायालय,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :-

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 180, 181, 181/2, 184, 186/2 , 1148, 1149, 2279/1, 2279/2 कुल किता 10 जो कि, एकत्र रकवा 5.958 है जो कि, ग्राम नैगुवा तहसील व जिला छतरपुर आवेदकगण एवं अनावेदक के पिता के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है जिसका एक

2018 OCT-81

(Handwritten signature)

R 6065/2018 (खता) भूरा.

5/3/19. ① - प्रमाण प्रस्तुत | आवेदन भाषि. श्री एस.एल

एकस उपस्थित

(25) अधीनस्थ <sup>अपर आयुक्त</sup> - यामोहन का आवेदन दिनांक  
08/08/2018 का होने से एवं भूरा-  
सहिता 1959 में वर्ष 2019 से संशोधन  
होने के कारण द्वितीय अपील में  
पारित आवेदन के विरुद्ध निगरानी सुनने  
का अधिकार समाप्त कर दिया है

(32) अती. सिद्ध (2) की शर्त के अनुसार न  
निगरानी अग्रहण की जाती है

3